दूरभाष : 011-23238542, 23236740
Telephone : 011-23238542, 23236740
फैक्स : 0091-011-23231252
Fax : 0091-011-23231252
E-mail ई-मेल: secretary@dciindia.org
Website : www.dciindia.org.in

ऐवान-ए-ग़ालिब मार्ग
कोटला रोड़, नई दिल्ली - 110 002
Aiwan-E-Galib Marg,
Kotla Road, New Delhi - 110 002

WEBSITE
SPEED POST

भारतीय दन्त परिषद

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

सं० डी.ई.(एंटी रैगिंग सेल)-167-2017/ 108 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी, देश के सभी दंत महाविद्यालय

विषय: **भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन एवम दंत कॉलेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.1 के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने के लिए सूचनाएं 31.10.2017 तक प्रस्तुत करने हेतु।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि डीसीआई के नियमों के मुताबिक, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने के लिए डीसीआई विनियम के अनुसार सभी दन्त संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करे कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा की जाए।

2. उपर्युक्त नियमों की धारा 11.3 के अनुसार, संस्थान के प्राधिकारी / प्रबंधन वर्ग (ट्रस्ट, सोसाइटी आदि), विशेष रूप से संस्थान का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना घटती है तो वह प्रबंधक वर्ग / अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा जिनके कर्तव्य की लापरवाही से यह घटना हुई। तदनंतर अध्यक्ष को नियुक्त करने वाला पदनामित अधिकारी अध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने में विफल रहता है तो इस पर दन्त कालेजों मे रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के खंड 11.4 के अनुसार निम्नलिखित दंड के किसी एक या किसी भी संयोजन को लागू करेगा:

11.4.1 दंत्य चिकित्सा अधिनियम, 1948 के खंड 16ए के अधीन संस्थान के विरुद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करना।
11.4.2 संस्थान की दाखिला क्षमता में उतनी कमी करना जितना परिषद उचित समझे।
11.4.3 अगले आदेश होने तक संस्थान में और आगे दाखिले बंद करना।
11.4.4 यूजी/पीजी दंत्य पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुमति का नवीकरण बंद करना।
11.4.5 संबंधित संस्थान पर इस तरह लगाए गए दंडों से संबंधित सूचना सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई के वेबसाइट पर प्रस्तुत करना।

4. उपर्युक्त के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक दंत संस्थान में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम के **खंड 12.1 के अनुसार पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में** अपेक्षित जानकारी (निर्धारित प्रारूप में, संलग्नक-II) अपनी रिपोर्ट सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर, तक प्रस्तुत करें अन्यथा ऐसे दोषी संस्थानो के विरुध विनियम की धारा 11.4 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

5. सभी दंत संस्थानों को अकादमिक वर्ष के आरंभ होने के साथ-साथ सत्र के दौरान भी साइनबोर्ड, पुस्तिका आदि के माध्यम से रैगिंग रोकने के लिए विज्ञापन देना चाहिए। आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपने संस्थान के सभी छात्रों को पुस्तिकाएं जारी करे, जिसमें विवरण हो कि रैगिंग क्या है, रैगिंग की दंडनीय गतिविधिया, रैगिंग करने पर दंड व जुर्माना और रैगिंग विरोधी दस्ते के सदस्यों (एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग हैल्पलाइन), पुरुष व महिला होस्टल वार्डन्स / डिप्टी वार्डन्स आदि के नाम ओर मोबाइल नंबर।

कृ०पृ०उ०

6. सभी दंत संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य (सदस्यो) को नये और वरिष्ठ छात्रों के लिए "सलाहकार" के रूप में नामित करे, जो दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से विद्यार्थियों (काउसेलीस) के दल को समन्वयित करने तथा रैगिंग कि बुराई को रोकने में उनकी भूमिका को संवेदित करने के लिए निर्दिष्ट करते रहे।

7. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप ऑनलाइन के माध्यम (www.antiragging.in / www.amanmovement.org) से बीडीएस / एमडीएस / पीजी डिप्लोमा / पैरा डेंटल पाठ्यक्रम या डीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) और उनके माता-पिता / अभिभावको से रैगिंग विरोधी होने का वचन पत्र प्राप्त करे।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे आपसे अनुरोध करने के लिए निर्देश दिया गया है कि आप पिछले शैक्षणिक-सत्र 2016-2017 के लिए आवश्यक जानकारी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा जाना आवश्यक है, कृपया सकारात्मक रूप से, निर्धारित प्रारूप में (संलग्नक-II, जो आपकी संस्था के पास पहले से ही उपलब्ध है) 31.10.2017 तक हमें भेजी जाए। यदि सूचना 31.10.2017 तक प्राप्त नहीं हुई तो उस दोषी संस्थान का नाम उचित व उपयुक्त कार्यवाही के लिए मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा जाएगा और उनके नाम भी डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाएंगे।

9. कृपया इस पत्र को **अति आवश्यक** माना जाए।

10. भारतीय दंत परिषद किसी भी प्रकार की रैगिंग के खिलाफ **शून्य सहिष्णुता** सुनिश्चित करती है।

आपका आभारी

(डॉ० सब्यसाची साहा)
सचिव
भारतीय दंत परिषद

जानकारी के लिए प्रतिलिपि:

१. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग - डी.ई. अनुभाग), निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
२. श्री एस शंकर, उप सचिव (उच्च शिक्षा), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115
३. डॉ पंकज मित्तल, अतिरिक्त सचिव, यू.जी.सी., बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
४. डॉ अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, यू.जी.सी., बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
५. प्रो० एस० के० कठारीया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डेंटल सर्जरी, एस० एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा (उ०प्र०)।
६. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली।
७. कार्यालय प्रतिलिपि

(डॉ० सब्यसाची साहा)
सचिव
भारतीय दंत परिषद